

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही (राज.)

बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

प्रार्थना-पत्र संख्या 83/2025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
प्राधिकृत अधिकारी बन्धन बैंक, सम्पूर्णानन्द कॉलोनी, सिरौही जरिए प्राधिकृत अधिकारी श्री राज्यवर्धनसिंह राठौड।		1. श्री हाजी खान पुत्र श्री नवाब खान निवासी 124, सरगडों का वास, मालीपुरा तहसील रेवदर जिला सिरौही। 2. श्री नवाब खान पुत्र श्री मोहम्मद खान निवासी 124, सरगडों का वास, मालीपुरा तहसील रेवदर जिला सिरौही। 3. श्रीमती जामु बानो निवासी 124, सरगडों का वास, मालीपुरा तहसील रेवदर जिला सिरौही।

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्युराइटी एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल

एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002

उपस्थिति :-

1. श्री गणपत कुमावत अधिकृत अधिकारी, प्रार्थी बैंक की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 02.12.2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्युराइटी एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया।

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी पक्ष के द्वारा अप्रार्थी

1. श्री हाजी खान पुत्र श्री नवाब खान निवासी 124, सरगडों का वास, मालीपुरा तहसील रेवदर जिला सिरौही।
2. श्री नवाब खान पुत्र श्री मोहम्मद खान निवासी 124, सरगडों का वास, मालीपुरा तहसील रेवदर जिला सिरौही।
3. श्रीमती जामु बानो निवासी 124, सरगडों का वास, मालीपुरा तहसील रेवदर जिला सिरौही।

को राशि रूपये 5,00,000/- की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थी ने अपनी जायदाद बैंक के पास बतौर अमानत बंधक रखी थी। अप्रार्थी ने अपनी जायदाद आवासीय सम्पत्ति पट्टा नम्बर 45 बुक संख्या 17 दिनांक 30.04.2004 जो कि गांव मालीपुरा तहसील रेवदर जिला सिरौही में स्थित है, जिसकी माप 733 वर्गफीट है, को बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन कर दिया।

अप्रार्थी द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी के बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु

उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी के नाम रजिस्टर्ड डाक के



- (a) take possession of such asset and documents relating thereto  
and  
(b) forward such assets and documents to the secured creditor

(2) For the purpose of securing compliance with the provisions of sub-section (1), the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate may take or cause to be taken such steps and use, or cause to be used, such force, as may, in his opinion, be necessary.

परिणामस्वरूप तथ्यों के संदर्भ में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्युराइटेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेन्ट आफ सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी ने अपनी जायदाद बैंक के पास बतौर अमानत बंधक रखी थी। अप्रार्थी ने अपनी जायदाद आवासीय सम्पत्ति पट्टा नम्बर 45 बुक संख्या 17 दिनांक 30.04.2004 जो कि गांव मालीपुरा तहसील रेवदर जिला सिरौही में स्थित है, जिसकी माप 733 वर्गफीट है, को बैंक/कम्पनी पक्ष में रहन कर दिया। जिसका अडौस-पडौस इस प्रकार है-

- पूर्व- श्री मोहम्मद खां पुत्र श्री मोसा खां की भूमि व घर।  
पश्चिम- आम रास्ता।  
उत्तर- श्री प्रागा/रासिंग हीरागर का घर।  
दक्षिण- श्री मोहम्मद खां पुत्र श्री मोसा खां की भूमि

उपरोक्त जायदाद पर अन्य किसी न्यायालय का स्थगन नहीं होने की स्थिति में उक्त जायदाद का कब्जा अप्रार्थी से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस थाना से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को संभलाये जाने का आदेश दिया जाता है। यदि उक्त सम्पत्ति किसी भी तरीके से बंद पायी जाती है, तो ताला तोड़कर उक्त सम्पत्ति पर प्रार्थी बैंक अपना कब्जा स्थापित करें। आदेश की प्रति वास्ते पालनार्थ पुलिस अधीक्षक सिरौही, संबंधित थानाधिकारी पुलिस थाना एवं प्रार्थी बैंक/कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। उक्त आदेश दिनांक 28.02.2026 के बाद से प्रभावी होगा। आदेश आज दिनांक 02.12.2025 को सरे ईजलास सुनाया गया।



*(Handwritten Signature)*  
(अल्पा चौधरी)  
जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही